जलविद्युत परियोजना के बारे में कुछ आदिवासी, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों जोकि परियोजना से विस्थापित होने वाले सम्भावित व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए उनके प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, उनके द्वारा परियोजना का विरोध किए जाने के बारे में प्रेस में रिपोर्ट प्रकाशित हुई हैं।

(ख) परियोजना के निर्माण से विस्थापित होने वाली आबादी के लिए क्षेत्र में आदिवासी बहुल आबादी की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अपेक्षाओं के अनुरूप एक व्यापक पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया हैं।

(ग) इस परियोजना से कुल मिलाकर 22359 व्यक्तियों (5035 परिवारो के प्रभावित होने की सम्भावना हैं। इनमें से 13263 व्यक्ति पूर्णतः प्रभावित गांवों और 9098 आंशिक रूप से प्रभावित गांवों से संबंधित होंगे। पुनर्वास उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ अधिगृहीत भूमि के लिए नकद मुआवजा, आवास के लिए भूमि, प्रत्येक विस्थापित परिवार के एक सदस्य की उपलब्धता एवं उपयुक्तता पर निर्भर करते हुए श्रेणी-4 अथवा लिपिकीय नौकरी का अवसर प्रदान करने, परिवहन अनुदान, आवश्यक नागरिक सुविधाएं, सांस्कृतिक एवं, धार्मिक क्रियाकलापों की सुविधा और आदिवासियों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया हैं।

ग्रामीण जनता को ऋण दिया जाना

960. **श्री रामजीलाल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार की जनता को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की क्या नीति हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया हैं कि प्रत्येक बैंक इस नीति का पालन कर रहा हैं; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान वर्ष में ऋण के लिये कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने लोगों को ऋण दिये गये तथा शेष लोगों को ऋण देने के क्या कारण हैं और उसका राज्य-वार ब्यौरा क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों से अपेक्षा की जाती हैं कि वे अपनी निवल बैंक ऋणों का कम से कम 40 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र के ऋणर्ताओं को दें। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती हैं कि वे 40 प्रतिशत समग्र लक्ष्य के अंतर्गत निवल बैंक ऋण का कम से कम 18 प्रतिशत क्षेत्र को दें। इसके अलावा, कमजोर वर्गो, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, आई आर डी पी हिताधिकारियों, डी आर आई हिताधिकारियों, आदि को 40 प्रतिशत के समग्र लक्ष्य के अंतर्गत निवल बैंक ऋण का कम से कम 10 प्रतिशत दिया जाना चाहिए। वाणिज्यिक बैंकों से अपेक्षा की जाती हैं कि वे ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी केन्द्रों में स्थित अपनी शाखाओं द्वारा दिए जाने वाले अग्रिमों के संबंध में प्रत्येक के लिए कम से कम 60 प्रतिश्ध्यात का ऋण जमा अनुपात रखें। मार्च 1995 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों का प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने संबंधी कार्य-निष्पादन निम्नलिखित रहाः-

	बकाया राशि (करोड़ रूपए में)
प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	61794.43
निवल बैंक ऋण की तुलना में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों का प्रतिशत	36.56%
कृषि क्षेत्र को अग्रिम	23512.93
निवल बैंक ऋण की तुलना में कृषि क्षेत्र को अग्रिमों का प्रतिशत	13.91%
कमजोर वर्गो को अग्रिम	13918.19
निवल बैंक जमा के संबंध में कमजोर वर्गो को अग्रिमों का प्रतिशत	8.23%

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक में ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि वर्ष 1993-94 (नवीनतम उपलब्ध) के लिए ग्रामीण ऋण के संबंध में सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण के तहत तैयार वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत लक्ष्य एवं उपलब्धियां संलग्र विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

वर्ष 1993-94 के लिए ग्रामीण ऋणों संबंधी सेवा क्षेत्र योजना के अंतर्गत तैयार की गई वार्षिक योजना के अंतर्गत लक्ष्यों और उपलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्ध
1. हरियाणा	1178.79	1541.18
2. हिमाचल प्रदेश	107.65	109.91
3. जम्मू व कश्मीर	101.54	87.68
4. पंजाब	1700.39	1802.96
5. राजस्थान	730.77	780.68
6.चंडीगढ़	1.30	1.39
7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	9.44	5,14
8.अरूणाचल प्रदेश	7.96	4.06
9. असम	104.08	58.77
10. मणिपुर	25.73	6.29
11. मेघालय	17.87	3.91
12. मिजोरम	6.46	3.06
13. नागालैंड	10.49	4.19
14. त्रिपुरा	18.94	11.04
15.बिहार	665.72	470.67
16. उड़ीसा	421.19	383.34
17.सिक्किम	2.39	2.63
18. पश्चिम बंगाल	767.47	489.34
19.अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	8.67	3.15
20.मध्य प्रदेश	1257.73	677.73
21. उत्तर प्रदेश	2679.63	2364.14
22. गोवा	78.80	122.19
23.गुजरात	1402,12	1431.03
24. महाराष्ट्र	1936.68	1922.63
25. दादरा व नगर हवेली	2.32	2.11
26. दमन व दीव	1.94	3.34
27. आन्ध्र प्रदेश	2614.93	2400.50
28. कर्नाटक	1410.92	1473.07
29. केरल	1362.41	1546.88
30. तमिलनाडु	1783.39	2887.92
31. लक्षद्वीप	0.39	0.34
32. पांडीचेरी	53.59	52.41
अखिल भारत	20,470.70	20,653.50